बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संचिका संख्या–01/स्था०क्षे०–323/2026 पटना, दिनांक फरवरी, 2026

का र्या ल य आ दे श

कृषि विभाग के आदेश संख्या–4140 दिनांक–04.09.2025 क्रमांक–804 द्वारा बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–01 (शष्य) के पदाधिकारी श्री अमन आनंद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष की सेवा गन्ना उद्योग विभाग को सौंपी गयी। दिनांक–04.08.2025 से 03.10.2025 तक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बिपार्ड गया के पत्रांक–6932 दिनांक–03.10.2025 के द्वारा श्री आनंद को दिनांक–03.10.2025 के अपराह्न से विरमित किया गया है। श्री अमन आनंद द्वारा गन्ना उद्योग विभाग में दिनांक–06.10.2025 के पूर्वाह्न में अपना योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–1943 दिनांक–16.12.2025 के क्रमांक–15 द्वारा श्री अमन आनंद को ईख प्रसार पदाधिकारी कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर के कार्यालय मे पदस्थापित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री अमन आनंद ने पदस्थापित कार्यालय में दिनांक–17.12.2025 के पूर्वाह्न में योगदान समर्पित किये हैं। इस प्रकार प्रभार रहित अवधि 06.10.2025 से 16.12.2025 तक है।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10128 दिनांक–26.12.2003 के आलोक में श्री अमन आनंद, ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर का दिनांक–06.10.2025 से 16.12.2025 तक की अवधि को पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा के रूप में विनियमन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सहमति तथा अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०क्षे०–323/2026 487 **/पटना, दिनांक–**2 मार्च **फरवरी, 2026**

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rare. 02/03/26

सरकार के अवर सचिव।